न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत विजयसिंहपुरा)

मु.न. 57/2015

उनवान

1. बसन्ती पत्नि भागीरथ
2. रामपाल पुत्र भागीरथ
3. बाबूलाल पुत्र भागीरथ
4. कैलाश पुत्र भागीरथ
   जाति मीणा निवासी ग्राम झीडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. आन्या पुत्र श्योदान (मृतक दौराने दावा)
   1/1 सुरजी देवी पत्नि आन्या
   1/2 छाजूराम पुत्र आन्या
   1/3 उमराव पुत्र आन्या
   1/4 हरि पुत्र आन्या
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम झीडा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
   1/5 लाली देवी पुत्री आन्या पत्नि भगवान सहाय जाति मीणा, निवासी राजारामपुरा, तह0 आमेर, जिला जयपुर।
   1/6 मनभरी देवी पुत्री आन्या पत्नि गोपाल निवासी कालवाड तह0 आमेर, जिला जयपुर।
   1/7 सन्ती देवी पुत्री आन्या पत्नि रामावतार जाति मीणा निवासी पीलवा तह0 आमेर जिला जयपुर।
   1/8 फूली देवी पुत्री आन्या पत्नि रामकुंवार जाति मीणा निवासी पीलवा तह0 आमेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 10.05.2017

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट विजयसिंहपुरा में पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम झीडा, पटवार हल्का सामोद, भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि हाल खाता संख्या 96 खसरा नम्बर 463, 463/952, 466, 497, 605, 615, 616, 619, 620, 623, 624, 627, 653, 655, 660, 661, 662/1030, 663/1031,

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

665/1032, 667, 674 कुल किता 21 का कुल रकबा 3.00 हैक्टेयर स्थित हैं, जिसकी सम्पूर्ण की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज हैं।

वाके ग्राम झीडा, पटवार हल्का सामोद, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 6 खसरा नम्बर 268, 465, 468, 469, 498, 554, 579, 611, 625, 628, 629, 657, 662, 668, 717, 719 कुल किता 16 का कुल रकबा 2.37 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। जो अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी की भूमि हैं तथा मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की भूमि के पश्चिम दिशा में लगवा स्थित हैं।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान तहसीलदार महोदय चौमूं के आदेश क्रमांक/सीमा/2014/2374 दिनांक 06.06.2014 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.07.2014 को खसरा नम्बर 623 व 624 के मौके पर पहुच कर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष खसरा नम्बर 626 गै0मु0 चाह व खसरा नम्बर 651 गै0मु0 चाह को आधार मानकर व जरीब चलाकर नापा गया तथा आराजी खसरा नम्बर 626 गै0मु0 चाह से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 623 का पश्चिमी उत्तरी कोना कायम किया तथा इसी कोने से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 623 का उत्तरी पूर्वी कोना कायम कर खसरा नम्बर 624 का दक्षिणी पूर्वी कोना कायम किया गया तथा खसरा नम्बर 651 से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 623, खसरा नम्बर 624 की उत्तरी दक्षिणी सीमा कायम की गई तथा उपस्थित व्यक्तियों से हस्ताक्षर करवाये गये थे परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट पर ऐतराज किया गया व हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया। इसलिए इस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं, जिस कारण न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना अनिवार्य हुआ।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि हैं, जिसकी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण को उनके कब्जेकाश्त एवं स्वामित्व की भूमि प्रार्थना की मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर 623 व खसरा नम्बर 624 भूमि की पत्थरगढी नही करवाने दे रहे है तथा उक्त अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण का पडौसी काश्तकार व्यक्ति है, जिसका उक्त आराजीयात् से किसी प्रकार का कोई लेना देना नही हैं। जिस कारण यदि पत्थरगढी के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये

तहसीलदार
चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

जाते हैं, तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नही होगी तथा प्रार्थीगण अपने कब्जेशुदा स्वामित्व की भूमि का स्पष्ट सीमाज्ञान करवाकर उपयोग उपभोग कर सकेगें।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात् खसरा नम्बर 623 व 624 की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारों को सुना गया। अप्रार्थी संख्या 1/4 हरि पुत्र आन्या ने निवेदन किया की उक्त विवादित आराजीयात में लगभग 0.4–0.5 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण ने पुख्ता मकानात का निर्माण कर रखा हैं, उक्त मकानात को छोडते हुए अगर पत्थरगढी की जाती हैं तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 11.07.2014 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि उक्त विवादित आराजीयात में पुख्ता मकानात निर्माण को छोडकर तथा यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा उक्त विवादीत आराजीयात में फसल न हो तो उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2017 को मेरे द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट विजयसिंहपुरा में सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner